29. राकेश आफ मीट्रोल होटल, नई दिल्ली
30. रॉक्सी इंजीनियरिंग वर्कस, नई दिल्ली
31. रौनक इंटरनेशनल, दिल्ली
32. सुप्रीम ट्रेवल्स, दिल्ली
33. स्वीफ्ट एयर ट्रेवल्स (प्रा०) लि०, चण्डीगढ़
34. सत्याम फोरेन लिंक्स
35. शाह कंसट्रक्शन
36. शेख मोहम्मद आफ गार्डन रीच, कलकत्ता
37. बग्गा इंटरनेशनल, दिल्ली
38. सत्याम कारपोरेशन, बम्बई
39. शिवम् कारपोरेशन, बम्बई
40. वी० एम० टूर्स एण्ड ट्रेवल्स प्रा० लि०, बम्बई
41. वारालक्ष्मी ट्रेवल्स, बम्बई
42. वो० आई० पी० पर्सनल मैनेजमेंट्स कंसलटेंट्स, बम्बई

पंजीकृत भर्ती एजेंटों की कुल संख्या	54
विदेशी एजेंसियों की कुल संख्या	47
अपंजीकृत भर्ती एजेन्टों की कुल संख्या	42
कुल जोड़ :	143

श्रमिकों के कल्याण के लिए स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान

237. **श्री हुक्मदेव नारायण यादव :** क्या श्रम मंत्री श्रमिकों के कल्याण के लिए स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान दिए जाने के संबंध में 23 अगस्त, 1985 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 2863 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इन स्वैच्छिक संगठनों का निरीक्षण किसने किया ;

(ख) क्या यह सच है कि इन स्वैच्छिक संगठनों के लेखाओं की लेखा परीक्षा कभी नहीं कराई गयी जबकि इन्हें अनुदान लगातार दिए जाते रहे हैं ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि उनमें से कुछ संगठनों के कार्यकरण में अनियमितताएं पायी गई ; यदि हां, तो उनके नाम और पते क्या हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी अंजैय्या : (क) इन सभी संगठनों

का वर्ष 1983–85 के दौरान निरीक्षण किया गया। तथापि, सागर (मध्य प्रदेश) और बेल्लौर (तमिलनाडु) में बाल कल्याण केन्द्रों के बारे में निरीक्षण रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ख) जी, नहीं । मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार, स्वैच्छिक संगठनों के लेखों, जिन्हें सहायता अनुदान दिए जाते हैं, की चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा लेखा-परीक्षा करना आवश्यक है और लेखों का वार्षिक विवरण भेजना पड़ता है। बाद के वर्षों के लिए अनुदान तभी दिए जाते हैं जब चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा लेखा परीक्षा किए गए लेखों का विवरण प्राप्त हो जाए।

(ग) जी, नहीं । तथापि, बाल कल्याण केन्द्र तीन गल्ली, दामोह (मध्य प्रदेश) के संबंध में निरीक्षण रिपोर्ट से यह पता चला है कि उपस्थिति कम है, जलपान सामग्री की उपलब्धि और उनके वितरण का उचित रिकार्ड नहीं रखा जाता है, जगह अपर्याप्त है और एक कार्यकलाप से दूसरे कार्यकलाप में लापरवाही से परिवर्तन किया गया है। बाल कल्याण के पांच केन्द्रों में से तीन केन्द्रों में मनोरंजन की पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं।

Trade development with European Community Countries

238. SHRI RAMCHANDRA BHARADWAJ: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Commissioner of European Economic Community, Mr. Cheysson visited New Delhi in connection with the development of trade between India and the European Community countries; and

(b) if so, what are the details of the discussions held and what is the outcome thereof?

THE MINISTER OF COMMERCE (SHRI ARJUN SINGH): (a) Yes, Sir.

(b) The discussions formed a part of bilateral exchange of views on matters of mutual interest, especially in relation to Indo-EEC trade, better access in the EEC for Indian commodities, cooperation in the field of industry, and dissemination of information among enterpreneurs.

Shriram Bhartiya Kala Kendra

239. DR. H. P. SHARMA:

SHRIMATI MAIMOONA SULTAN:

Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a dispute regarding the non-payment, irregular payments and inadequacy of wages payable to artistes of the Shriram Bhartiya Kala Kendra has been persisting for years together;

(b) whether it is also a fact that these artists had gone on strike during the Pooja days last year; if so, what were their demands and on what terms the strike was withdrawn;

(c) what is the quantum of Central aid/grants given to the said Kendra during the last three years; and

(d) what steps Government have taken to ensure fixation of adequate wages and regular payments thereof and for laying down their conditions of service and proper scales of pay?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI T. ANJAIAH): (a) As reported by the Delhi Administration the General Secretary, Shriram Bhartiya Kala Kendra Employees' Association submitted charter of demands on 14-9-1984 regarding increase in wages; payment of overtime; introduction of dearness allowance; encashment of leave; holidays as per Government list; and introduction of bye-laws governing service conditions. They also submitted a representation on 13-11-1984 regarding Provident Fund, Gratuity, D.A., Pension Medical benefit, inadequate payment of wages and overtime allowance.